any library of Government/Semi Government/ Autonomous Institute. **Desirable:** Diploma in Library Science from recognised Board/ University.			officers of the Central Government (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation and Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of: - (1) Deputy Director, Central Research Institute, Kasauli -Chairman (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Member (3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli -Member (4) Commanding officer, Military Hospital, Kasauli or his representative -Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/03/15-EPI]
B.L. MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016

सा.का.नि.171.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, उपसहायक निदेशक (जीव रसायन) (गैर- चिकित्सीय) भर्ती नियम, 1981, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में उप सहायक निदेशक (जीव रसायन) (गैर-चिकित्सीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, उप सहायक निदेशक (जीव रसायन) (गैर-चिकित्सीय) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 7—अगस्त 13, 2016, शनिवार/श्रावण 16—श्रावण 22, 1938
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 7—AUGUST 13, 2016, SATURDAY/SRAVANA 16—SRAVANA 22, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

सा.का.नि.168.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (समूह ख पद) भर्ती नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (समूह ख पद) भर्ती संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये 28 मार्च, 2009 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (समूह ख पद) नियमावली, 2009 के आरंभिक पैरा में "राष्ट्रपति" से आरम्भ होने वाले और "नामत:-" से अंत होने वाले शव्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन विभाग (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) सुरक्षा अधिकारी, भर्ती नियमावली, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप सहायक निदेशक (जीव रसायन) (गैर-चिकित्सीय)	2 (2016)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड –3, 15600–39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी सगठनों के अधिकारी :

				(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300 – 34800/- रु. + ग्रेड वेतन 4800/- या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन 4600/- या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :- **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीव रसायन में विज्ञान की मास्टर डिग्री । (ii) किसी सरकारी स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान से मानव जैविक उत्पाद के विनिर्माण और परीक्षण और/ या चिकित्सा जीव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वायरस विज्ञान या इम्युनोलाजी के क्षेत्र में अनुसंधान का एक वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्विवद्यालय या संस्थान से जीव रसायन में डाक्टरेट डिग्री । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

				(प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत लघु काल संविदा है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्त से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत लघु काल संविदा है) की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत लघु काल संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा.सं. ए-12018/02/2014-ई पी आई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2016

G.S.R. 171. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, Deputy Assistant Director (Bio-Chemistry) (Non-Medical) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Deputy Assistant Director (Bio-Chemistry) (Non-Medical) in the Central Research Institute, Kasauli under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli Deputy Assistant Director (Bio-Chemistry) (Non-Medical) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Assistant Director (Bio-Chemistry) (Non-Medical).	2 (2016)* * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Pay band – 3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicabl	Not applicable	By deputation (including short term contract).	Deputation including short term contract:

				Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2 Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2, Rs.9300-34800 with grade pay Rs.4600 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Master of Science in Bio-Chemistry from a recognised University or Institute. (ii) One year's experience in the manufacture and testing of human biological products and/or in research in the field of medical Biochemistry, Microbiology, Virology or Immunology from a Government Autonomous or Statutory Organizations, Public Sector Undertaking, Universities or recognized research institutes. **Desirable:** Doctorate degree in Bio-Chemistry from a recognized University or Institute. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central

				Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (Including Short Term Contract).

[F. No. A-12018/02/2014-EPI]
B. L. MEENA, Under Secy.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सा.का.नि.172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1978, जहां तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम, उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

Desirable:

Experience in maintenance of horses for the production of anti- toxic sera.

Note 1: The Department Veterinary Assistant Surgeon in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with eight years regular service in the grade shall also be considered and in case he or she is selected for appointment to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2: The Departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (Including Short Term Commission) including period of deputation (Including Short Term Commission) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Commission) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: for the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.".

[F.No. A-12018/12/2016-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

Note: The Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli (Veterinary Officer) Recruitment Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3,Sub-Section (i), dated the 19th November,2016, *vide* number G.S.R. 206, dated the 15th November,2016.

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 224.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, उप सहायक निदेशक (जीव-रसायन) (गैर-चिकित्सीय) भर्ती नियम, 2016 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, उप सहायक निदेशक (जीव-रसायन) (गैर-चिकित्सीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, उप सहायक निदेशक (जीव-रसायन) (गैर-चिकित्सीय) भर्ती नियम, 2016 में, -

(क) नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।"

(ख) अनुसूची में, -

(i) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100 -177500 रुपये)" ;

(ii) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(11)
" प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है –   केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधिकारी :   (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या   (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–8 (रू. 47600 –151100) पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; या   (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7 (रू. 44900 –142400) पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; और   (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :   **आवश्यक :**   (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीव-रसायन में विज्ञान की मास्टर डिग्री ।   (ii) किसी सरकारी स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान से मानव जैविक उत्पाद के विनिर्माण और परीक्षण और/या चिकित्सा जीवरसायन, सूक्ष्म जीवविज्ञान, वायरस विज्ञान या इम्युनोलाजी के क्षेत्र में अनुसंधान का एक वर्ष का अनुभव ।   **वांछनीय :** किसी मान्यमाप्राप्त विश्विवद्यालय या संस्थान से जीव-रसायन में डाक्टरेट डिग्री ।   **टिप्पण 1 :-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।   (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)   **टिप्पण 2 :-** प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।   **टिप्पण 3 :-** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर से विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिये वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी ।"

[फा. सं.ए. 12018/12/2016-ईपीआई]

जी.के. पिल्लई,अवर सचिव

टिप्पण : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, उप सहायक निदेशक (जीव-रसायन) (गैर-चिकित्सीय) भर्ती नियम, 2016 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड -3, उपखंड – (i), तारीख 13 अगस्त, 2016 में संख्यांक सा. का. नि. 171, तारीख 8 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

New Delhi, the 17th July, 2019

G.S.R. 224.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution ,the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli Deputy Assistant Director (Bio-Chemistry)(Non-Medical) Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli Deputy Assistant Director (Bio-Chemistry)(Non-Medical) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli Deputy Assistant Director (Bio-Chemistry)(Non-Medical) Recruitment Rules,2016,-

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix. -The number of said post,its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns(2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(b) in the Schedule,-

(i) in column(4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in the Pay Matrix
(4)
Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)";

(ii) under column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

(11)
"Deputation including short term contract: Officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level – 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix in the parent cadre or Department; or (iii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400); and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential**: (i) Master of Science in Bio-Chemistry from a recognised University or Institute. (ii) One year's experience in the manufacture and testing of human biological products and/ or in research in the field of medical Biochemistry,